राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

संoसंo–02 / परीo–08 / रा.वाद–11 / 2023–990

2820

प्रेषक,

संजीव कुमार,
उप सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः 23-07-2024

विषय :– अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दो सप्ताह के राजस्व न्याय प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राजस्ववाद अभिलेख में अपर समाहर्त्ता के न्यायालय एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में दो सप्ताह से कम अवधि का राजस्व न्याय प्रशिक्षण प्रदान कर तदनुसार तैयार राजस्ववाद अभिलेख पर्षद कार्यालय में स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक–21.09.2017 को माननीय अध्यक्ष–सह–सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार के अध्यक्षता में भाoप्रoसेo / बिoप्रoसेo के पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान तैयार किये गये राजस्ववाद अभिलेख के समीक्षा हेतु दो सप्ताह के राजस्व न्याय का प्रशिक्षण (अपर समाहर्त्ता एवं / अथवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में) अवधि की अनिवार्यता नियत की गयी है।

अतः अनुरोध है कि भाoप्रoसेo / बिoप्रoसेo के प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए दो सप्ताह के राजस्व न्याय प्रशिक्षण अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाय तथा दो सप्ताह के राजस्व न्याय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (मूल) संलग्न राजस्ववाद अभिलेख को स्वीकृति हेतु पर्षद कार्यालय को अग्रसारित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

23.07.24

(संजीव कुमार)
उप सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

o/c 23/07/24